



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226229
CG-DL-E-30032021-226229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1271]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1271]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1375(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स, वेंगलई, लुंगलेई (NH 302) के कि.मी. 0 से 9.978, डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स, वेंगलई, लुंगलेई (NH54A) के कि.मी. 0 से 5.65 मिजोरम राज्य तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मिजोरम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 302, NH54A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्टी	राष्ट्रीय राजमार्ग	मिजोरम	लुंगलेई	लुंगलेई	1 रामथर

	कमिश्नर	संख्या NH54A के कि.मी. 0 से 5.65 तक			<table><tr><td></td><td>2</td><td>चांदमारी</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>वेंगलाई</td></tr></table>		2	चांदमारी		3	वेंगलाई
	2	चांदमारी									
	3	वेंगलाई									

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Lunglei/NH-54 A & NH-302/2019-20/1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1375(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to 9.978 of Deputy Commissioner Complex, Venglai, Lunglei (NH 302), from 0 to 5.65 of Deputy Commissioner Complex, Venglai, Lunglei (NH54A) in the State of MIZORAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MIZORAM.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH 302, NH54A in the State of MIZORAM.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional Deputy Commissioner	0KM To 5.65KM	MIZORAM	LUNGLEI	Lunglei	1	Ramthar
						2	Chandmari
						3	Venglai

[F. No. NHIDCL/PMU-Lunglei/NH-54 A & NH-302/2019-20/1]

RAJESH GUPTA, Director